

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या - 2238 वर्ष 2026**

अमित कुमार श्रीवास्तव

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रमुख सचिव गृह लखनऊ और 3 अन्य के माध्यम से

....प्रतिवादी (ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

:धीरेन्द्र प्रताप सिंह

प्रतिवादी (ओं) के लिए अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 15**माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह**

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यह आवेदन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली (संक्षेप में "पुनरीक्षण न्यायालय") द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2665/2024 में दिनांक 22.09.2025 को पारित पुनरीक्षण आदेश और साथ ही अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-I, रायबरेली (संक्षेप में "दण्डाधिकारी") द्वारा वारंट और समन आपराधिक मु0 संख्या 18138/2023 में दिनांक 07.09.2024 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग के साथ दायर किया गया है, और आवेदक द्वारा दायर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत आवेदन को स्वीकार करने का भी अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक का मामला यह है कि उन्हें 10.03.2014 को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की कंपनी ज्ञान निधि कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में "कंपनी") में भर्तीकर्ता के रूप में नियुक्त किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गया था, जो भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी भर्ती सेवाएं प्रदान करती है। उन्होंने मार्च 2023 तक कंपनी में काम किया, जब उन्हें जबरन और कूटरचना से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सेवा से बर्खास्तगी के बाद, आवेदक ने कारण जानने की कोशिश की और उन्हें पता चला कि कंपनी ने अवैध लाभ के लिए कुछ जाली दस्तावेज तैयार किए थे।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने 07.06.2023 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ज्ञान सक्सेना और निधि सक्सेना भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी भर्ती के क्षेत्र में कार्यरत एक कंपनी चला रहे थे और अरविंद बाजपेयी लखनऊ स्थित कार्यालय के प्रबंधक थे। आवेदक का चयन और नियुक्ति 10.03.2014 को कंपनी में भर्तीकर्ता के रूप में हुई थी और मार्च 2023 तक उनके खाते में वेतन का भुगतान किया गया था, जिसके बाद कंपनी ने जबरन उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं और उन्हें वेतन पर्ची, वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र, फॉर्म 16 आदि जैसे आवश्यक दस्तावेज नहीं दिए। जब आवेदक ने कंपनी को कानूनी नोटिस भेजकर इन दस्तावेजों की मांग की, तो भी उन्हें ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जो वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में उनके खिलाफ मुख्य सबूत हैं। प्रस्तावित आरोपियों ने आवेदक के साथ धोखाधड़ी करके अवैध लाभ और अवैध हानि पहुंचाने के लिए उनकी सेवाएं समाप्त कीं और उन्हें अवैध नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए।

4. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत 25.09.2023 को दर्ज किया गया था और उसी समय, मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(1) के तहत पुलिस से जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी, जिसमें पुलिस ने 17.08.2024 को जांच रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें प्रस्तावित आरोपी अरविंद बाजपेयी का बयान दर्ज किया गया था और उसने कहा है कि आवेदक ने पहले ही 31.12.2017 को सेवा से इस्तीफे के लिए आवेदन दिया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. आगे यह भी कहा गया है कि दण्डाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के तहत दिए गए बयानों पर विचार करने के बाद, दिनांक 07.09.2024 के विवादित आदेश के माध्यम से शिकायतकर्ता की याचिका खारिज कर दी, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि प्रस्तावित आरोपियों ने आवेदक को अवैध नुकसान पहुंचाने के लिए कागजात जाली बनाए थे।

6. इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष दायर आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2665/2024 को भी दिनांक 22.09.2025 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः यह आवेदन दायर किया गया है।

7. आवेदक ने विशेष रूप से यह दलील दी है कि वास्तव में आवेदक ने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि प्रस्तावित आरोपी द्वारा इसे जाली बनाया गया है, इसलिए उन्होंने अपराध किया है और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। आवेदक ने यह भी बताया है कि उसने सेवा विवाद के लिए श्रम न्यायाधिकरण में मामला संख्या 44/2024 के रूप में दायर किया है, जो आज तक लंबित है।

8. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

9. परिवाद के सरसरी तौर पर अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 से 4 के बीच सेवा विवाद है। आवेदक ने स्वयं आवेदन के पैरा 13 में यह कथन दिया है कि उसने सेवा विवाद के लिए श्रम न्यायाधिकरण में मामला दायर किया है। यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें श्रम न्यायालय निर्णय ले सकता है क्योंकि परिवाद के सभी तथ्य यह दर्शाते हैं कि आवेदक और प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के बीच सेवा विवाद है। पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202(1) के तहत आख्या भी प्रस्तुत की है, जो आवेदक के मामले का समर्थन नहीं करती है। यह मामला मूल रूप से सेवा विवाद से संबंधित है, इसलिए दोनों निचली

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय ने आवेदक के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है और विवादित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदन खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

26 मार्च, 2026

मोहित सिंह/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।